

Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

विषय..... बनाम.....
प्रकरण सं. 2/53/2024 तारीख रज. 26.06.24.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
26.06.24	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/ गैरसायलान को जर्जे रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 19.07.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़(अलवर)	
19.7.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब..... अन्य है। कार्य में व्यक्त है। पत्रावली दिनांक 21.8.24 को पेश हो। रीडर	
21.8.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब..... अन्य है। कार्य में व्यक्त है। पत्रावली दिनांक 25.9.24 को पेश हो। रीडर	
25.9.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब..... अन्य है। कार्य में व्यक्त है। पत्रावली दिनांक 2.10.24 को पेश हो। रीडर	
14.10.24	पत्रावली संकटित हुई। P.O साहब अन्य कार्य में व्यक्त है। पत्रावली भाषण दिनांक 21.10.24 को पेश हो। रीडर	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय
इनिशियल जज

21.11.24 पत्रावली पेश। P.O. साहय..... पुनाव...
..... कार्य मे को पेश हो।
पत्रावली दिनांक 29.11.24
रंछिद

29.11.24

पत्रावली खस्तूत हूँ। कहील साक्षी अनुपस्थित
कहील व अडे साक्षीगण को न्यायालय द्वारा
द्वार-द्वार आवाज लगवानी गई। उनके व कजुद
कहील व अडे साक्षीगण उपस्थित नहीं आए।
अतः साक्षी पत्रा-212 R/M कहील व अडे साक्षीगण
की अफ्म फरवी-अफ्म हाजिरी में खासिय खिया
जाता है। पत्रावली अफ्म फरवी फलत शमार
दोसर नखर से फरम है। वाद तकमील मुल
वाद के संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दराव (अलवर) राज०

सेवा